भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6352
दिनांक 02.04.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन 2.0 की कमियां

†6352. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन परिवारों को नल से जल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, उन्हें मुश्किल से ही जलापूर्ति हो पाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि केरल के कई भागों में सड़कें खोदकर पाइपलाइनें बिछाई गई हैं लेकिन अभी तक घरेलू कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या यह भी सच है कि जल भंडारण टैंकों का निर्माण किए बिना और जल प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना ही पाइपलाइनें बिछा दी गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिए जम्मू और कश्मीर सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को जेजेएम की शुरुआत में, केवल 3.24 करोड़ (16.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 12.59 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 08.03.2026 तक, देश में 19.26 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.82 करोड़ (81.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन का प्रावधान उपलब्ध है।

इसका अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जेजेएम को संवर्धित परिव्यय के साथ दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें सभी चल रहे कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना शामिल है।

(ग) और (घ): केरल राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जेजेएम की शुरुआत में, केवल 16.64 लाख (23.51%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 22.23 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 08.03.2026 तक, राज्य में 70.77 लाख ग्रामीण परिवारों में से 38.87 लाख (54.92%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन का प्रावधान उपलब्ध है।

पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए, ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। इसके अलावा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है, जिसमें उन सड़कों की मरम्मत अथवा नवीकरण करना शामिल है जो जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाते समय प्रभावित होती हैं और जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्य सरकार की स्रोत अन्वेषण समिति, जिसमें विशेषज्ञ शामिल हैं, की सिफारिश के बाद ही जल आपूर्ति स्कीम को अनुमोदित करने के प्रावधान किए गए हैं। इन सिफारिशों में यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहचाना गया जल स्रोत, जिसके माध्यम से स्कीम की योजना बनाई गई है, स्कीम की डिजाइन अवधि की तुलना में मानदण्ड के अनुसार जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम स्रोतों का दीर्घावधिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, पेयजल स्रोतों के विकास/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन; तथा ग्राम-अवस्थित जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा भरोसेमंद भू-जल स्रोतों से रहित पानी की कमी वाले, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में जल के थोक अंतरण, शोधन एवं संवितरण प्रणालियों के लिए अवसंरचना हेतु भी प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ-साथ, मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य स्कीमों जैसे वीबी जी राम जी, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), वित्त आयोग द्वारा आरएलबी/पीआरआई को सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि के सामंजस्य में स्रोत पुनर्भरण अर्थात् समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का पुनरुद्धार, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग आदि करने की सलाह दी गई है।
